निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 50 / 2024
दायरा दिनांकः–25.09.2024
निर्णय दिनांकः– 17.12.24

उनवान

भगवान कंवर आयु 56 वर्ष पुत्री करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम कोलुखेडी तहसील कुम्भराज जिला गुना (मध्यप्रदेश)

बनाम

1. जुगराज सिंह 45 वर्ष आत्मज करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. पप्पु आयु 25 वर्ष आत्मज नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. भीमसिंह आयु 35 वर्ष आत्मज नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. लक्ष्मी बाई आयु 65 वर्ष बेवा नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. लटुरसिंह आयु 50 वर्ष आत्मज करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
6. श्रृगांरबाई आयु 75 वर्ष बेवा करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. सज्जन बाई आयु 43 वर्ष पुत्री करणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–17.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री चन्द्रमोहन सिंह – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि ग्राम खेरखेड़ा नाथूराम तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान मे भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 0.4932 हैक्टीयर अवस्थित है जो प्रार्थीया तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 7 एंव सामरा के शामलाती खातेदारी अर्थात राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित शामलाती खातेदारान मे से मुस० सामरा का स्वर्गवास हो गया है। जिसके जायज वारिस तथा कायम मुकामान उसके भाई तथा माता अर्थात अप्रार्थीगण कम 2 ता 4 है। उक्त वर्णित शामलाती खाते की भूमियो में प्रार्थीया का नाम भगवान कवर के स्थान पर सहवन से भूल वंश बाई दर्ज हो गया है जब कि प्रार्थीया के आधार कार्ड एंव पेन कार्ड में प्रार्थीया का नाम भगवान कवंर ही दर्ज है। शामलाती खाते में दर्ज उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे प्रार्थीया का नाम भगवान कवर के स्थान पर बाई दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थीया को केन्द्र सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा कृषि से संबंधित प्रारम्भ की जारी योजनाओ से लाभान्वित होने से वंचित होना पड़ रहा है। और प्रार्थीया के.सी. सी. एंव बैंक लोन इत्यादि का लाभ प्राप्त नही कर पा रही है जिसके फलस्वरूप प्रार्थीया का अपार आर्थिक क्षति हो रही है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी कम संख्या 8 तहसीलदार साहब छबड़ा के संबंधित रेवेन्यु अधिकारियो से सम्पर्क कर उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज प्रार्थीया का नाम बाई के स्थान पर भगवान कंवर दर्ज कर खाते मे इन्द्राज दुरूस्त करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थीया की कोई सुनवाई नही की अन्त मे दिनांक 21/08/2024 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी कम 8 तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रार्थीया को खाते में इन्द्राज दुरूस्त कराने हेतु न्यायालय एस०डी०ओ० छबड़ा के समक्ष कार्यवाही करने की प्रार्थीया को हिदायत दी अतः यही दिनांक 21/08/2024 बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र कायम किया जाता है। प्रार्थीया उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड भू अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज प्रार्थीया का नाम बाई के स्थान पर भगवान कवंर दर्ज करवाकर खाते में इन्द्राज दुरूस्त करवाने की प्रार्थीया वैधानिक एंव कानूनी तौर पर अधिकारिणी है। राजस्थान सरकार भूमि धारक होने एव प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वह आवश्यक पक्षकार होने के सबब से राज्य सरकार को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे जर्ये तहसीलदार छबड़ा को प्रोफार्मा अप्रार्थी कम 8 एंव इसी प्रकार से अप्रार्थीगण क्रम संख्या 1 ता 7 उक्त वर्णित भूमि के शामलाती खातेदार होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उनको भी प्रोफार्मा अप्रार्थीगण बनाये गये है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण के सम्मन वाद तामील प्राप्त बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा नाथूराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 31 फोटो प्रति आधार कार्ड भगवान कंवर फोटो प्रति पेन कार्ड भगवान कंवर पेश किया

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम 1 ता 7 के शामलाती खातेदारी में दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम भगवान कंवर के स्थान पर सहवन से भूलवंश बाई दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजों में भगवान कंवर दर्ज है राजस्व रिकार्ड में भगवान कंवर के स्थान पर भूलवंश बाई दर्ज हो जाने के कारण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीया को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया का नाम अन्य दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 31 में प्रार्थीया का नाम बाई पुत्री करणसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा0देह दर्ज है प्रार्थीया के आधार कार्ड पेन कार्ड में भगवान कंवर दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम खेरखेडा नाथूराम की जमाबन्दी खाता संख्या 31 खसरा नम्बर 91 रकबा 0.4932 है0 में खातेदार बाई पुत्री करणसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपूत सा0देह दर्ज है ग्राम वासियों से खातेदार के नाम की जानकारी की गई। उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा बताया की बाई व भगवान कंवर पुत्री करणसिंह जाति राजपूत सा0देह खेरखेडा नाथूराम में एक ही महिला का नाम है उक्त प्रार्थीया को दोनो नामों से जाना जाता है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में बाई दर्ज है वर्तमान में प्रार्थीया का नाम सभी दस्तावेजों में भगवान कंवर है प्रार्थीया वर्तमान में ग्राम खेरखेडा नाथूराम में निवास नही करती है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का नाम भगवान कंवर है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम बाई दर्ज हो गया है प्रार्थीया अपना नाम बाई के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में भगवान कंवर दर्ज करवाना चाहती है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडा नाथूराम तहसील छबडा के खसरा नम्बर 91 रकबा 0.4932 है0 में प्रार्थीया का नाम बाई पुत्री करणसिंह के स्थान पर भगवान कंवर उर्फ बाई पुत्री करणसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)